फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत........सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक.............मुकाम....................**भादरा**..

....**भानीराम आदि**.........बनाम्.. **रामकुमार आदि** ....

किस्म मुकदमा............**212 आरटीएक्ट** ....न० **34/26** सन्............ **2026**..............................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
30.04.2026	आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सिगेदार होने के बाद प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। वकील प्रार्थी की बहस, प्रस्तुत दस्तावेज (जमाबंदी रोही मौजा मुन्दड़ियाबड़ा सम्वत 2075–78 खाता सख्या 126/118 व खाता संख्या 184/174) व शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। आगामी तारीख पेशी तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि रोही मौजा मुन्दड़िया बड़ा के जमाबंदी सवत 2075–2078 के खाता संख्या 126/118 के खसरा संख्या 100 की 3.0980 है बारानी व खाता संख्या 184/174 के खसरे संख्या 100/1 की 2.9210 है0 बारानी वादभूमि को अप्रार्थीगण रहन, बैय व मुतकिल नही करे व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें। इस संबंध में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई उज्र एवं ऐतराज हो तो न्यायालय में असालतन एवं वकालतन उपस्थित आकर वजह जाहिर करें। प्रार्थी वकील आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करें, अप्रार्थीगण की तलवी रजिस्टर्ड एडी से करवाकर रसीदे न्यायालय में 07 दिवस में पेश करें अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 09.06.2026 को पेश हो। [हस्ताक्षर] **सहायक कलक्टर** **(फास्ट ट्रेक)भादरा**	
27.05.26	पत्रावली आज वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पर पेशी के ली गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना की आवेदिका पर "पत्रावली में मूल वाद में राजीनामा हो गया है इसलिये प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहते, इसी स्टेज पर खारिज कर दिया जावे" पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन को स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 [हस्ताक्षर]	पत्रावली के मूल वाद मे राजीनामा हो गया है इसलिए प्रार्थना पत्र मे कोई कार्यवाही नही चाहता, इस स्टेज पर खारिज कर दिया जावे Sujeet B 27/5/26

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की की तामील जारी हुआ
	वाद पैरवी बिना खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा	